मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
05/18/16	03/08/21	4 वर्ष, 9 माह, 18 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या 283/2016

रमेश चन्द्र पुत्र स्व. श्री गिल्लू प्रसाद उम्र 45 वर्ष निवासी 10/4 कांशीराम कालोनी, करारी, जिला झाँसी, उ.प्र.

----याची

प्रति

1. मोहम्मद अनीस पुत्र श्री मोहम्मद खान निवासी 137 इतवारी गंज, झाँसी
........मालिक आपे रजिस्ट्रेशन सं. यू.पी. 93 ए टी 0810
2. जगदीश साहू पुत्र श्री बालमुकुन्द साहू निवासी 177, दरीगरान, कोतवाली, झाँसी
........चालक आपे रजिस्ट्रेशन सं. यू.पी. 93 ए टी 0810
3. मण्डलीय प्रबन्धक नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 98 सिविल लाइन, झाँसी, उ.प्र.
.... बीमाकर्ता आपे रजिस्ट्रेशन सं. यू.पी. 93 ए टी 0810

----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री ए.के. समेले
विपक्षी सं.1 व 2 के अधिवक्ता- श्रीमती साधना देवी
विपक्षी सं.3 के अधिवक्ता- श्री वी.के. मिश्रा

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची रमेश द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं को आई गम्भीर चोटों के कारण ₹62,70,000 क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनाँक 07.02.2016 को मुन्ना लाल पॉवर हाउस के पास से अपने अण्डे व आमलेट का ठेला बन्द करके अपने घर कांशीराम कॉलोनी, करारी आने के लिए आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 में बैठकर आ रहा था। आपे जैसे ही सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास, झाँसी अन्तर्गत थाना सीपरी बाजार, झाँसी, समय करीब 10:30 बजे रात पहुँची तभी आपे चालक ने आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया जिससे याची का दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया व याची के शरीर के कई भागों में चोटें आई। घायल अवस्था में याची को मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती कराया गया, जहाँ उसके हाथ का ऑपरेशन कर हाथ काटा गया। याची मेडिकल कॉलेज, झाँसी में दिनाँक 07.02.2016 से 14.03.2016 तक भर्ती रहा। इलाज से निवृत्त होकर याची की पत्नी ने थाना सीपरी बाजार, झाँसी में मु.अ.सं.154/2016 आपे सं. 93 ए टी 0810 के चालक के विरूद्ध पंजीकृत कराया। याची की उम्र 45 वर्ष थी और वह अण्डे व आमलेट का ठेला लगाकर ₹12,000 प्रतिमाह कमा लेता था। परन्तु उक्त दुर्घटना में आई चोटों की वजह से अब याची 70 प्रतिशत विकलांग हो गया है और अब कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, जिससे याची व उसके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

3. विपक्षी सं.1 मोहम्मद अनीस व विपक्षी सं.2 जगदीश साहू क्रमशः प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के पंजीकृत स्वामी व चालक की ओर से 13 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि सत्यता यह है कि विपक्षी के वाहन को जगदीश साहू (विपक्षी सं.2) चला रहा था, जिसका ड्राईविंग लाइसेंस विपक्षी सं.1 ने देखकर ही उसे चालक रखा था, जो आपे चलाने में निपुण था। वह दिनाँक 07.02.2016 को बी.के.डी. चौराहे से करारी आने के लिये धीमी गति से आपे को चलाता हुआ जा रहा था। आपे में एक सवारी बैठी हुई थी जिसका नाम व पता वह नहीं जानते हैं। जैसे ही आपे सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास पहुँची तभी सामने से एक ट्रक तेज व अतिरिक्त लाईट जलाता हुआ आया। चालक ने घटना बचाने के लिये आपे को धीमी गति में ही कच्ची पटरी पर उतारा। गहराई होने की वजह से आपे पलट गया जिसमें बैठी सवारी को मामूली चोटें आयी थीं। उक्त घटना में चालक विपक्षी सं.2 की कोई भी गलती नहीं है। दुर्घटना के दिनाँक को विपक्षी के वाहन के समस्त कागजात वैध थे तथा विपक्षी सं.2 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था एवं आपे विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेंस कं.लि. के यहाँ से बीमित था। यदि याची क्षतिपूर्ति राशि पाने में सफल होता है तो उसकी अदायगी की सम्पूर्ण जिम्मेंदारी विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी की होगी।

4. विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 की बीमा कम्पनी की ओर से 13 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि कथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत आपे के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा प्रश्नगत आपे मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था तो ऐसी दशा में विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 06.12.2016 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः-

1. क्या दिनाँक 07.02.2016 को समय 10:30 बजे रात स्थान सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास, झाँसी अन्तर्गत थाना सीपरी बाजार, झाँसी जिला झाँसी में आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक ने आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया जिससे उसमें सवार याची रमेशचन्द्र को गम्भीर चोटें आयीं ?

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.08 18:03:44 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

2. क्या कथित दुर्घटना की तिथि एवं समय पर प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था ?
3. क्या कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर उक्त प्रश्नगत वाहन विपक्षी सं. 3 नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहाँ विधिवत् रूप से बीमित थी ?
4. क्या याची प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ, तो कितना और किस विपक्षी से ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः-

याचीगण की ओर से

<u>अभिलेखीय</u>

1. फेहरिस्त 7सी1 के माध्यम से 8सी1/1 लगायत 10सी1 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सालय मुक्ति पत्र व बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,
2. फेहरिस्त 28सी1/1 के माध्यम से 28सी1/2 लगायत 28सी1/21 प्रपत्र, जिनमें संबंधित थाने द्वारा जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति, आरोप पत्र, नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ व असल विकलांगता प्रमाण पत्र, मेडिकल कॉलेज, झाँसी का याची का असल पर्चा, असल चिकत्सालय मुक्ति पत्र एवं याची के दवाओं के असल बिल व एक किता असल रसीद लोक अदालत आदि शामिल हैं,
3. फेहरिस्त 32सी1 के माध्यम से 33सी1/1 लगायत 36सी1/2 प्रपत्र जिनमें राशन कार्ड, अंक-तालिका हाई स्कूल परीक्षा, वोटर पहचान पत्र एवं बी.एच.टी. की छाया प्रतियाँ आदि शामिल हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

पी.डब्लू.1 रमेश याची चुटैल स्वयं, पी.डब्लू.2 धर्मेन्द्र कुशवाहा एवं पी.डब्लू.3 रमेश पुत्र धनीराम स्वतंत्र साक्षीगण

विपक्षीगण की ओर से-

<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>

विपक्षीगण सं.1 व 2 की ओर से फेहरिस्त 15सी1 के माध्यम से 16सी1 लगायत 20सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र व बीमा पॉलिसी की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियाँ शामिल हैं,

<u>मौखिक साक्ष्य</u>

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है,
इसके अतिरिक्त श्री अजय नायक, कनिष्ठ सहायक मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा याची की इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति दाखिल की गयी है।

7. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>**

इस वाद बिन्दु को साबित करने के लिये याची की ओर से फेहरिस्त **28सी1/1** के माध्यम से **28सी1/2 लगायत 28सी1/3** संबंधित थाने द्वारा जारी **प्रथम सूचना रिपोर्ट** की प्रति, **28सी1/5 आरोपपत्र, 28सी1/7 नक्शा नजरी** की सत्य प्रतिलिपियाँ, **28सी1/10** याची के महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी का **असल चिकित्सालय मुक्ति पत्र, 36 सी1/1 लगायत 36 सी1/ 12 याची रमेश की बी.एच.टी. की छाया प्रति** तथा **40सी1** याची रमेश की **इंजरी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति** कनिष्ठ सहायक मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा दाखिल की गई है तथा मौखिक साक्ष्य में **पी.डब्लू.1** याची रमेश चुटैल स्वयं व **पी.डब्लू.2** धर्मेन्द्र कुशवाहा एवं **पी.डब्लू.3** रमेश पुत्र धनीराम स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

9. **पी.डब्लू.1** याची रमेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका एक्सीडेन्ट दिनाँक 07.02.2016 को समय रात्रि 10:30 बजे सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास हुआ था। वह मुन्ना लाल पॉवर हाउस से आपे नं. यू.पी. 93 ए टी 0810 से कांशीराम कॉलोनी जा रहा था। वह आपे चालक तेजी व लापरवाही से चला रहा था, उसे धीमे चलाने के लिये भी कहा था परन्तु नहीं माना। जैसे ही आपे सूती मिल के पास पहुँची तो उसने अपनी साईड में कच्चे में उतारी तब आपे दाहिने साईड पलट गया था, उससे उसका हाथ आपे की ऐंगिल में दब गया था क्योंकि वह ऐंगिल पकड़े हुये था। उसके दाहिने हाथ में पंजे से कन्धे तक गम्भीर चोटें आयीं थीं। दाहिने आँख के ऊपर सिर में चोटें आई थीं। घटना के बाद उसे मेडिकल कॉलेज, झाँसी ले जाया गया था, जहॉ उसका इलाज दिनाँक 07.02.2016 से 14.03. 2016 तक चला था। इलाज होने के बाद उसकी पत्नी ने थाना सीपरी बाजार, झाँसी में एफ.आई.आर. आपे चालक के विरूद्ध दर्ज करायी थी। इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु इसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि इसकी साक्ष्य पर संदेह किया जा सके। **पी.डब्लू.2** धर्मेन्द्र कुशवाहा मौके का स्वतन्त्र साक्षी है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 07.02.2016 की है। वह अपनी ऑटो लेकर बी.के.डी. चौराहा से पाल कॉलोनी जा रहा था। उसकी ऑटो में दो सवारी भी बैठी थीं, जैसे ही वह रेलवे क्रॉसिंग के आगे पहुँचा तभी उसके पीछे आ रही आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 का चालक तेजी व लापरवाही से आपे चलाता हुआ उसको ओवर टेक करके आगे निकला था और सूती मिल के पास उसने आपे को पलटा दिया। उक्त आपे पलटते ही उसने अपनी आपे को रोक लिया था और दौड़कर पलटी हुई आपे के पास पहुँचा। कई लोग भी आपे के पास पहुँच गये थे। उन सब लोगों ने मिलकर आपे को सीधा किया था जिसके अन्दर से रमेश चन्द्र को लहू- लुहान व चोटिल अवस्था में बाहर निकाला था और तत्काल रमेश चन्द्र को मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया था। घटना को उसने अपनी आँखों से देखा है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में याची पी.डब्लू.1 की साक्ष्य का समर्थन किया है। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा मे मात्र यह प्रश्न

किया गया है कि उसने दुर्घटना की रिपोर्ट लिखाई थी या नहीं जिससे इस साक्षी ने इंकार किया है। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा स्थगित कराई गई है। इसके पश्चात इस साक्षी को याची के प्रार्थनापत्र पर न्यायाधिकरण के आदेश दिनाँकित 07.02.2018 द्वारा साक्ष्य से उन्मोचित किया गया है। **पी.डब्लू.3** रमेश पुत्र धनीराम भी प्रस्तुत दुर्घटना का स्वतंत्र साक्षी है तथा इस साक्षी ने याची पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 की उक्त साक्ष्य का समर्थन किया है तथा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि रमेश चन्द्र का एक्सीडेन्ट दिनाँक 07.02.2016 को हुआ था। रमेश चन्द्र आपे में बैठकर बी.के.डी. से करारी की ओर जा रहे थे। आपे का नम्बर यू.पी. 93 ए टी 0810 था, जिसमें रमेश चन्द्र बैठा था। वह आपे चालक है और वह अपनी आपे लेकर स्टेशन से करारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वह अपनी आपे को लेकर सूती मिल तक पहुँचा उसी समय आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 का चालक तेजी व लापरवाही से आपे को चलाकर आया और उसकी आपे को ओवर टेक करके आगे चला गया और सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास उक्त आपे के चालक ने आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे आपे में बैठे रमेश चन्द्र को दांयी हाथ में गम्भीर चोट आ गयी थी। उसने अपनी आपे को रोका और वहाँ एकत्र काफी लोगों साथ मिलकर पलटी हुई आपे को सीधा किया। घटना रात 10:30 बजे की है। उक्त आपे को उसने अपने सामने पलटते हुये देखा है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु इसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे कि इसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

10. 28सी1/2 लगायत 28सी1/3 संबंधित थाने द्वारा जारी **प्रथम सूचना रिपोर्ट** की प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट चुटेल याची रमेश की पत्नी श्रीमती कंचन द्वारा दिनाँक 07.02.2016 की दुर्घटना की रिपोर्ट दिनांक 27.03.2016 को अज्ञात आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक के विरूद्ध अंकित कराई है। **28सी1/5 आरोप पत्र** की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने जगदीश साहू (विपक्षी सं.3) प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक के विरूद्ध ही संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है। **28सी1/7 नक्शा नजरी** भी विवेचक द्वारा उक्त दुर्घटना स्थल के संबंध में बनाया गया है जो निम्न हैः-

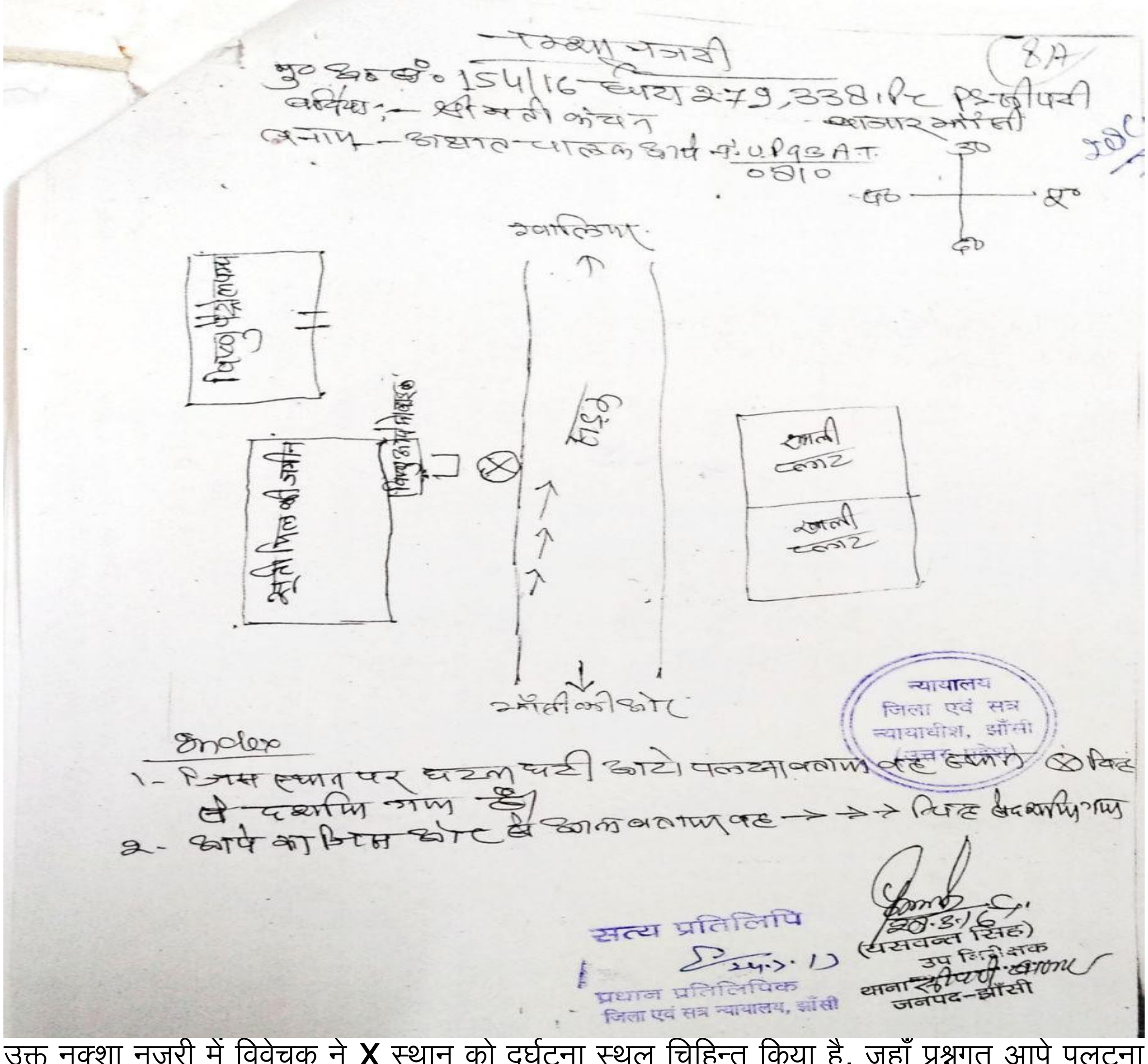

उक्त नक्शा नजरी में विवेचक ने X स्थान को दुर्घटना स्थल चिहिन्त किया है, जहाँ प्रश्नगत आपे पलटना बताया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों से भी याची के दुर्घटना होने के कथनों व साक्ष्य की पुष्टि होती है। **28सी1/10 व 40सी1** महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी के याची का **असल चिकत्सालय मुक्ति पत्र, इंजरी रिपोर्ट** व **36 सी1/1 लगायत 36 सी1/12 याची रमेश की बी.एच.टी. की छाया प्रति** के अवलोकन से विदित होता है कि दिनाँक 07.02.2016 को ही महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालय, झाँसी में याची द्वारा चिकित्सक से इलाज कराया गया व चिकित्सक ने उसकी चोटों का परीक्षण किया है, तथा इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटें आर.टी.ए. से आने का उल्लेख किया गया है एवं **बी.एच.टी** में भी भर्ती का प्रकार एक्सीडेन्टल अंकित है। विधि व्यवस्था Ravi Badrinarayan and

Ors. Vs **(18. 02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा-20 और 21] पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में लगभग एक माह 7 दिन का बिलम्ब हुआ है, उसका स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं याचिका में वादी द्वारा दिया गया है व पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने यह साक्ष्य दी है कि इलाज के दौरान उसकी पत्नी कंचन मेडिकल कॉलेज में लगातार रही थी, इलाज होने के बाद मेरी पत्नी ने थाना सीपरी बाजार, झाँसी में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। अतः दुर्घटना में गम्भीर चोटें आने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट बिलम्ब से दर्ज होना स्वभाविक है।

11. **विपक्षी सं.1 व 2** प्रश्नगत आपे के पंजीकृत स्वामी व चालक ने अपने संयुक्त जवाबदावा में उक्त कथित दिनाँक व स्थान पर अपने प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 से दुर्घटना होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है किन्तु उनकी ओर से मात्र यह कथन किया गया है कि जैसे ही आपे सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास पहुँची तभी सामने से एक ट्रक तेज व अतिरिक्त लाईट जलाता हुआ आया चालक ने घटना बचाने के लिये आपे को धीमी गति में ही कच्ची पटरी पर उतारा, गहराई होने की वजह से आपे पलट गया जिसमें बैठी सवारी को मामूली चोटें आयी थीं। उक्त घटना में चालक विपक्षी सं.2 की कोई भी गलती नहीं है। विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. की ओर से मात्र दुर्घटना के तथ्यों से इन्कार किया गया है किन्तु कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि याची की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.3 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक अपनी आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया। विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि दुर्घटना के समय कोई ट्रक मौके से गुजर रहा था तथा उसकी लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई हो। इस प्रकार याची की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त समस्त साक्ष्य से याची की याचिका के कथनों की पुष्टि होती है। अतः विपक्षीगण के उक्त कथनों व तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। याचीगण की उक्त साक्ष्य से यह साबित है कि विपक्षी सं.1 ने अपनी आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया जिससे याची को कथित चोटें आई हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मै इस निष्कर्ष का हूँ, कि दिनाँक 07.02.2016 को समय 10:30 बजे रात स्थान सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास, झाँसी अन्तर्गत थाना सीपरी बाजार, झाँसी जिला झाँसी में आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक ने आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार याची रमेशचन्द्र को गम्भीर चोटें आयीं। **वाद बिन्दु सं.1** तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

12. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>**

वाद बिन्दु सं.2 इस आशय का है कि क्या कथित दुर्घटना की तिथि एवं समय पर प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था? इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 17सी1 आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक जगदीश साहू विपक्षी सं.2 के ड्राईविंग लाइसेंस की नोटरी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति दाखिल की है। पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात आपे चालक के रूपमें जगदीश साहू के विरूद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। 17सी1 के अनुसार चालक चालक जगदीश साहू के पास दिनाँक 13.09.1988 से 25.02.2017 तक आपे चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस है। उक्त ड्राईविंग लाइसेंस का खंण्डन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया जा सका है। दुर्घटना दिनाँक 07.02.2016 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना की तिथि एवं समय पर प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था। **वाद सं.2** तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

13. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>**

वाद बिन्दु सं.3 इस आशय का है कि क्या कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर उक्त प्रश्नगत वाहन विपक्षी सं.3 नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहाँ विधिवत रूप से बीमित थी। इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 10सी1 छाया प्रति व विपक्षी सं.1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 20सी1 प्रश्नगत आपे की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 का बीमा दिनाँक 15.10.2015 से 14.10.2016 तक वैध एवं प्रभावी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं.1 व 2 द्वारा प्रश्नगत आपे के पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट व स्वस्थता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियाँ क्रमशः 16सी1, 18सी1 व 19सी1 भी दाखिल की गई हैं। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट एवं स्वस्थता प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 07.02.2016 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना के दिनाँक व समय पर उक्त प्रश्नगत वाहन विपक्षी सं.3 नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहाँ विधिवत् रूप से बीमित थी। **वाद बिन्दु सं. 3** तदनुसार निर्णीत किया जाता है।

14. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>**

यह वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित हैं। वाद बिन्दु सं.1 के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक 07. 02.2016 को समय 10:30 बजे रात स्थान सूती मिल पेट्रोल पम्प के पास, झाँसी अन्तर्गत थाना सीपरी बाजार, झाँसी जिला झाँसी में आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 के चालक ने आपे को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे उसमें सवार याची रमेशचन्द्र को गम्भीर चोटें आयीं। अतः याची रमेश चन्द्र क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह है कि याची किस विपक्षी से और

कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। चूँकि वाद बिन्दु सं.2 व 3 में यह निर्णीत किया गया है कि प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत आपे के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस था एवं प्रश्नगत दुर्घटना के दिनाँक व समय पर प्रश्नगत आपे सं. यू.पी. 93 ए टी 0810 विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. से विधिवत् बीमित था। अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. का है।

15. क्षतिपूर्ति की गणना-

याची की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है कि दुर्घटना के समय याची अण्डे व आमलेट का ठेला लगाने का कार्य करता था। दुर्घटना में आई चोटों के कारण याची का दाहिना हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया व उसके शरीर में कई भागों में चोटे आई तथा याची के हाथ का ऑपरेशन करके उसका हाथ काटा गया जिसकी वजह से उसे 70 प्रतिशत स्थायी विकलांगता आई है। याची ने अपने कथनों के समर्थन में महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, झाँसी की **इंजरी रिपोर्ट** की प्रमाणित प्रति, **बी.एच.टी.** की छाया प्रति तथा **28सी1/8 चीफ मेडिकल ऑफीसर, झाँसी द्वारा जारी असल विकलांगता प्रमाणपत्र** दाखिल किया गया है। याची के उक्त असल विकलांगता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची को दुर्घटना में आई चोटों के कारण वर्णित 70 प्रतिशत स्थायी विकलांगता पायी गई है। याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अर्जन क्षमता से ह्रास के अनुसार विकलांगता निर्धारित की जानी चाहिए। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने इसका विरोध किया है। मेरे विचार से न्यायाधिकरण स्वयं वास्तविक अपंगता अर्थात अपंगता से अर्जन क्षमता से ह्रास का प्रतिशत तय कर सकता है। विधि व्यवस्था **Sandeep Khanuja Vs. Atul Dande & Anr (02.02.2017 SC): MANU/SC/0108/2017** में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि चोट के मामलों में, चोट की प्रकृति और स्थायी विकलांगता का वर्णन प्रासंगिक कारक हैं और यह देखा जाना चाहिए कि घायलों की कमाई क्षमता पर इस तरह की चोट/विकलांगता का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि याची केवल बांए हाथ से कार्य करके आय अर्जित कर रहा है और उसकी अर्जन क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। मेरे विचार से यदि याची को अकुशल श्रमिक माना जाता है और वह चूँकि ग्रामीण परिवेश का है और उसने स्वयं अण्डे व आमलेट का ठेला लगाने का कार्य करना अपने बयानों में बताया है तो उसके दायें हाथ की 70 प्रतिशत विकलांगता पर 80 प्रतिशत अर्जन क्षमता की कमी अवश्य आएगी क्योंकि याची ने पी.डब्लू.1 के रूप में साक्ष्य दी है कि वह अब एक हाथ से कोई काम नहीं कर पाता है। हलॉकि यदि वह प्रयास करे तो एक हाथ से भी आमदनी के कई कार्य किए जाने संभव हैं। अतः विपक्षी बीमा कम्पनी का अर्जन क्षमता में कमी न होने का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं ।

16. याची की ओर से अपने इलाज में हुये व्यय के सम्बन्ध में फेहरिस्त 28सी1 से **₹6,802** के दवाओं के बिल/केश मेमो व पर्चे आदि दाखिल किये हैं। याची का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ है। याची की ओर से दाखिल उक्त बिलों की धनराशि को न्यायाधिकरण उचित पाता है। याची की ओर से मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती रहकर इलाज कराने के संबंध में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र दाखिल किया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि याची उक्त अस्पताल में दिनाँक 07.02.2016 से 14.03. 2016 तक भर्ती रहा है तथा उसका वर्णित इलाज हुआ है। पी.डब्लू.1 के रूप में याची ने कथन किया है कि उसका इलाज में लगभग **₹**70,000 खर्च हो गया है। याची ने यह याचिका सभी मदों में कुल ₹62,70,000 क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु योजित की है। इस प्रकार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याची को इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर हुये व्यय के मद में दाखिल बिलों की धनराशि **₹5,071**, याची की ओर से विधि व्यवस्था **Sanjay Kumar Vs. Ashok Kumar and another 2014(1)ACCD401(SC)** प्रस्तुत कर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिये **₹40,000** माँग की गई है जिसका बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया है। मेरे विचार से उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिये **₹40,000** दिलाया जाना न्यायोचित होगा साथ ही पुष्टाहार के लिये **₹15,000,** इलाज के समय सहायक की सेवाओं के लिए **₹5,000** तथा इलाज के लिए आवागमन पर हुये व्यय के मद में **₹10,000** भी याची को दिलाया जाना न्यायाधिकरण न्यायोचित समझता है।

17. याची ने याचिका में अण्डे व आमलेट का ठेला लगाकर कार्य करने से अपनी आय ₹12,000 मासिक अंकित की है तथा पी.डब्लू.1 के रूप में साक्ष्य में भी उसने उक्त कार्य से प्रतिमाह आय ₹12,000 होने का कथन किया है। पी.डब्लू.1 के द्वारा अण्डे व आमलेट का ठेला लगाकर कार्य करने के सम्बन्ध में कोई सम्पोषक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो रसीद 28सी1/21 पत्रावली पर याची की ओर से दाखिल की गई है उससे याची की उक्त कार्य से कथित आमदनी साबित नहीं होती है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित है। विधि व्यवस्था **Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03. 2008-SC) : MANU/SC/7368/2008** मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था **Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018–ALLHC) : MANU/UP/2954/2018** मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत में असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह में औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) **₹165** निर्धारित की जाती है।

18. याची ने याचिका में अपनी उम्र 45 वर्ष अंकित की है। पी.डब्लू.1 के रूप में भी याची रमेश ने दिनाँक 05.10.2017 को बयान देते समय अपनी उम्र 46 वर्ष होना बताई है। याची ने अपने हाई स्कूल अंक पत्र की छाया प्रति 34 सी1 पत्रावली पर दाखिल की है जिसमें उसकी जन्म तिथि 28.09.1970 अंकित है, जिससे भी याची की दुर्घटना के समय उम्र लगभग 46 वर्ष होती है। इंजरी रिपोर्ट में याची रमेश चुटैल की उम्र लगभग 45 वर्ष अंकित है। इंजरी रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि चुटैल की आयु दुर्घटना के समय लगभग 46 वर्ष थी। विधि व्यवस्था **National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/ SC/1366/2017** के अनुसार गुण्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए 13 का गुणक प्रयोज्य होगा तथा 40-50 वर्ष आयु वर्ग के लिए 25 प्रतिशत भविष्य प्रत्याशा होगी, अतः

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			25	14850
गुण्य				74250
गुणक			13	965250
स्थायी अपंगता (प्रतिशत में) पर क्षति			80	772200
मानसिक कष्ट के मद मे			40000	812200
इलाज पर खर्च			6802	819002
पुष्टाहार पर खर्च			15000	834002
यातायात पर खर्च			10000	844002
सहायक पर खर्च			5000	849002
कुल क्षतिपूर्ति				**849002**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति कुल धनराशि **₹8,49,002** आती है। विधि व्यवस्था **National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019- SC) : MANU/SC/0589/2019** के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पांच वर्षीय एन्युटी की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिन्दु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं.3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि **₹8,49,002 (आठ लाख उन्चास हजार दो)** मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.3671000101192489 आई.एफ.एस.सी. PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याची रमेश चन्द्र को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एन्युटी में निवेशित की जायेगी। शेष 25 प्रतिशत धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद स्थानान्तरित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक 08.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक 08.03.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी